न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

रामनिवास बनाम जानकीलाल किस्म मुकदमा – धारा 223 अपील संख्या– 2019 / 00301

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 05–07–2019 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–07–2002 को निरस्त किये जाने के फलस्वरूप इस न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुए निर्देशित किया गया कि विस्तार से विवेचन करते हुए एवं उभयपक्षकारान को अपना पक्ष रखते हुए दिनांक 05–08–2019 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। इस न्यायालय में अपील दिनांक 05–08–2019 को दर्ज रजिस्टर की गई किन्तु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेशार्थ कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। इस न्यायालय द्वारा अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को राजकीय सम्मन दिनांक 12–10–2020 को भिजवाये गये जिनकी पालना कार्यालय तहसीलदार बारां द्वारा की जाकर सम्मन पुनः इस न्यायालय को दिनांक 24–11–2020 को प्राप्त हुए। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की ओर से आदिनांक तक कोई भी उपस्थित नहीं हुए है। उभयपक्षकारान को रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई, फिर भी न्यायालय में कोई भी पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए है। अतः ऑर्डर 41 नियम 17 (1) के अनुसार पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)	